



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur



क्रमांक.-ई/पीबी/आर/भर्ती/एक्ट.अप्रेंटिस/01/2025-26

दिनांक 03.03.2025



अधिसूचना

विषय:- वर्ष 2025-26 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं अप्रेंटिस नियम-1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसेस का नियोजन।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद, नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिसशिप हेतु नियोजन के लिए रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर हेतु पात्र उम्मीदवारों से <https://apprenticeshipindia.gov.in> वेबसाइट पर दिनांक 03.03.2025 से 02.04.2025 (23:59 बजे तक) ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

डी.आर.एम. ऑफिस, रायपुर मंडल (स्थापना संख्या. E05202200048)

क्रं.	ट्रेड	अना.	ई.डब्ल्यू.एस.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	वैल्डर	75	19	50	28	14	185	7	19
2	टर्नर	6	1	4	2	1	14	1	1
3	फिटर	76	19	51	28	14	188	8	19
4	इलेक्ट्रिशियन	80	20	54	30	15	199	8	20
5	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	3	1	2	1	1	8	0	1
6	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	5	1	4	2	1	13	1	1
7	हेल्थ एण्ड सेनेटरी इंस्पेक्टर	13	3	9	5	2	32	1	3
8	कोपा	3	1	3	2	1	10	0	1
9	मशीनिष्ट	5	1	3	2	1	12	0	1
10	मेकेनिक डीजल	14	3	9	5	3	34	1	3
11	मेकेनिक रेफरीजरेटर एवं एयर कंडीशनर	4	1	3	2	1	11	0	1
12	ब्लैकस्मिथ	1	0	1	0	0	2	0	0
13	हेमरमेन	0	0	0	0	0	1	0	0
14	मेसन	1	0	1	0	0	2	0	0
15	पाइप लाइन फिटर	1	0	1	0	0	2	0	0
16	कारपेंटर	2	1	2	1	0	6	0	1
17	पेंटर	2	1	2	1	0	6	0	1
18	इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक	4	1	2	1	1	9	0	1
कुल		295	73	201	110	55	734	27	73

वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर (स्थापना संख्या E11152200001)

क्रं.	ट्रेड	अना.	ई.डब्ल्यू.एस.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	फिटर	44	11	30	17	8	110	4	11
2	वैल्डर	44	11	30	17	8	110	4	11
3	मशीनिष्ट	6	2	4	2	1	15	1	2
4	टर्नर	6	1	4	2	1	14	1	1
5	इलेक्ट्रिशियन	6	1	4	2	1	14	1	1
6	कोपा	2	0	1	1	0	4	0	0
7	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	1	0	0	0	0	1	0	0
8	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	1	0	0	0	0	1	0	0
कुल		110	26	73	41	19	269	11	26

1. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता :-

अ) अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वीं (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अहर्तो हेतु आवश्यक होगा)।

ब) अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

*उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। अर्हक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और व अभ्यर्थी जिनके अर्हक परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है, पात्र नहीं है।

2. आयुसीमा :- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 03.03.2025 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मीदवारों को 05 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 03 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट होगी। समुदायवार जन्मतिथि निम्नानुसार होनी चाहिए:-

क्रमांक	समुदाय	अभ्यर्थी की जन्म तिथि निम्न दोनों तिथियों के मध्य की होनी है।
01	अनारक्षित	03.03.2001 से 03.03.2010
02	अनुसूचितजाति	03.03.1996 से 03.03.2010
03	अनुसूचितजनजाति	03.03.1996 से 03.03.2010
04	अन्य पिछड़ावर्ग	03.03.1998 से 03.03.2010
05	दिव्यांग/भूतपूर्वसैनिक	03.03.1991 से 03.03.2010

*उम्र में छूट हाल के जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही दिया जायेगा। जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय नमूना अनुलग्नक-बी के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी केन्द्र सरकार के प्रारूप पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार, जो उम्मीदवार ओबीसी के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय नमूना अनुलग्नक-सी के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी केन्द्र सरकार के प्रारूप पर अपना जाति प्रमाण पत्र और गैर-क्रिमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी प्रमाण पत्र इस अधिसूचना के बंद होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र का नमूना अनुलग्नक-जी में संलग्न है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का नमूना अनुलग्नक-ई के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

3. अप्रेंटिसप्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति :- चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किये जायेंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता/अप्रेंटिस शिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जायेगा। नियोजित प्रशिक्षुओं को रेलवे बोर्ड के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जायेगा।

4. चयनप्रक्रिया :- प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जायेगा, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अहर्तो हेतु आवश्यक होगा) तथा आई.टी.आई. में प्राप्त अंक प्रतिशत को समानभारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जायेगी। (स्थापना नियम क्रमांक 201/2017)

5. चिकित्सापरीक्षण :- चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 (समय समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाणपत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाणपत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय/राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजपत्रित) से हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक सर्जन से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए।

6. संविदा :- चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या, यदि वह नाबालिक है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षुता के अनुबंध में पालक/अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है।

7. रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :- प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और ना ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों कि भली भाँति जानकारी प्राप्त कर ले।

8. भूतपूर्व सैनिक:- 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के, भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार नियोजित किया जाएगा।

क) मृत सैनिक के बच्चे/युद्ध के समय शहीद/दिव्यांग सैनिक सहित, ख) भूतपूर्वसैनिक के बच्चे, ग) सेवारत अधिकारी के बच्चे, घ) भूतपूर्वसैनिक, ङ) सेवारत जवान के बच्चे।

9. आवेदनप्राप्ति की अंतिमतिथि :- पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक **03.03.2025 से 02.04.2025** 23:59 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।

10. अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश:-

- क) अभ्यर्थी केवल <https://apprenticeshipindia.gov.in> वेबसाइट के माध्यम से ही ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करें ।
- ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र का वेबपोर्टल पर अपलोड करें तथा आधार वैरिफिकेशन भी अनिवार्य है ।
- ग) किसी भी प्रकार के पैरवी/दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।
- घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए/डीए नहीं दिया जायेगा ।
- ङ) उम्मीदवारों को वेबसाइट पर शिक्षा/तकनीकी योग्यता से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ वर्तमान पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो स्कैन किए गए हस्ताक्षर की सॉफ्ट/स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी ।
- च) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी ।
- छ) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत/जाली/झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी पूर्व सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है ।
- ज) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेता है । इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा ।
- झ) मुद्रण संबंधी किसी भी त्रुटि के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा ।
- ञ) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत खाली सीटें, दपूमेरे/मुख्यालय के पत्र सं. पी-एचक्यू/आरयूएल/101/10 (ई-50910) दिनांक 13.02.2024 के अनुसार भरी जा सकती है ।
- ट) विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी यानी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- ठ) अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति, अस्वीकृति पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

11. सहायता हेतु:-

01	मोबाइल नंबर	7024149242	अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार के मध्य कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10:00 से संध्या 17:30 तक के मध्य संपर्क किया जा सकता है ।
02	कार्यालय का पता	वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर, वॉल्टेयर गेट के निकट, रायपुर (छ.ग.) पिन संख्या:-492008	

नोट- किसी संशय/विरोधाभास कि स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप मान्य होगा ।

Digitally Signed by Nikita

Agrawal (निकिता अग्रवाल)

Date: 03-03-2025 14:18:04

Reason: Approved

दिनांक 03.03.2025

ई/पीबी/आर/भर्ती/एक्ट.अप्रेंटिस/01/2025-26
प्रतिलिपि-

1. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/द.पू.म.रेलवे को सूचनार्थ ।
2. मंडल रेल प्रबंधक के निज सचिव को मं.रे.प्र. के सादर सूचनार्थ ।
3. सी.एम.आई.टी. कार्यालय/बिलासपुर को अधिसूचना को एस.ई.सी.आर. वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
4. वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक/द.पू.म.रे./रायपुर को अधिसूचना के प्रकाशन/प्रचार हेतु ।
5. सूचनापटल एवं आई.टी. सेल/कार्मिक/रायपुर ।

कृते, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी



दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur



No: E/ PB/ R/ Rectt/ Act Appr./ 01/2025-26

Date: 03.03.2025



NOTIFICATION

Sub:- Engagement for Act Apprenticeship under Apprentices Act-1961 and Apprenticeship Rules-1962 in SECR Raipur Division & Wagon Repair Shop, Raipur for the year 2025-26.

Online applications through the **website: <https://apprenticeshipindia.gov.in>** from **03.03.2025 to 02.04.2025** (till 23.59 hrs) are invited from the eligible candidates for engagement as Trade Apprentices under Apprentices Act-1961 in Raipur Division & Wagon Repair Shop/ Raipur of SECR against the following designated trades:-

1. DRM OFFICE, RAIPUR DIVISION (Estt.No. E05202200048)

S.No.	TRADE	UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	PwBD	Ex. SM
1	Welder (Gas & Elect.)	75	19	50	28	14	185	7	19
2	Turner	6	1	4	2	1	14	1	1
3	Fitter	76	19	51	28	14	188	8	19
4	Electrician	80	20	54	30	15	199	8	20
5	Stenographer (Hindi)	3	1	2	1	1	8	0	1
6	Stenographer (English)	5	1	4	2	1	13	1	1
7	Health & Sanitary Insp.	13	3	9	5	2	32	1	3
8	COPA	3	1	3	2	1	10	0	1
9	Machinist	5	1	3	2	1	12	0	1
10	Mechanic Diesel	14	3	9	5	3	34	1	3
11	Mechanic Ref.& AC	4	1	3	2	1	11	0	1
12	Blacksmith	1	0	1	0	0	2	0	0
13	Hammerman	0	0	0	0	0	1	0	0
14	Mason	1	0	1	0	0	2	0	0
15	Pipe Line Fitter	1	0	1	0	0	2	0	0
16	Carpenter	2	1	2	1	0	6	0	1
17	Painter	2	1	2	1	0	6	0	1
18	Electronics Mechanic	4	1	2	1	1	9	0	1
TOTAL		295	73	201	110	55	734	27	73

2. WAGON REPAIR SHOP, RAIPUR (Estt.No.E11152200001)

S.No	TRADE	UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	PwBD	Ex.SM
1	Fitter	44	11	30	17	8	110	4	11
2	Welder	44	11	30	17	8	110	4	11
3	Machinist	6	2	4	2	1	15	1	2
4	Turner	6	1	4	2	1	14	1	1
5	Electrician	6	1	4	2	1	14	1	1
6	COPA	2	0	1	1	0	4	0	0
7	Stenographer (English)	1	0	0	0	0	1	0	0
8	Stenographer (Hindi)	1	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL		110	26	73	41	19	269	11	26

1. Educational qualification/ Technical Qualification:

- Must have passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent with minimum 50% (aggregate) marks.
- Must have passed I.T.I course in relevant trade from a Recognized Institution.

*The candidates should have already passed the prescribed qualification on the date of issue of Notification. Candidates appearing in the qualifying examination and candidates whose result of qualifying examination awaited are not eligible

- Age Limit:** The candidates should have completed 15 years of age and should NOT have completed 24 years of age as on **03.03.2025**. * The upper age limit is relaxable by 05 years for SC/ ST candidates, 03 years for OBC, 10 years for Ex-Servicemen and PWBD.

Srl No	Community	Candidate should be born between(both dates inclusive)
01	UR	03-03-2001 To 03-03-2010
02	SC	03-03-1996 To 03-03-2010
03	ST	03-03-1996 To 03-03-2010
04	OBC	03-03-1998 To 03-03-2010
05	PwBD/Ex-Servicemen	03-03-1991 To 03-03-2010

*Relaxation in age is subject to submission of recent caste certificate. The candidate who want to avail the benefit of reservation of SC/ST, must produce his/her Caste certificate on Central Government format issued by appropriate authority as per sample Annexure-B at the time of Document Verification. Similarly, candidates who want to avail the benefit of reservation of OBC, must produce Caste certificate and Non-Creamy Layer Certificate on Central Government format issued by appropriate authority as per sample Annexure-C at the time of Document Verification. OBC Certificate should not be older than one year from the date of closure of this Notification. PwBD certificate sample is attached as Annexure-G. EWS certificate as per sample Annexure-E must produce at the time of Document Verification.

- The period of Apprentice training & Stipend:** Selected candidates will be engaged as apprentices and they will undergo apprenticeship training for a period 1 Year for each trade. They will be paid stipend during their training as per the rules of Railway Board. **Their training will be terminated after the completion of their apprenticeship.**

4. Criteria for preparing merit list in the selection:

The following criteria are prescribed for preparation of merit in the selection: -
Taking the average of the % age marks obtained by the candidates in both Matriculation [with minimum 50% (aggregate) marks] and ITI examination giving equal weight age to both (Railway Establishment Rule 201/ 2017).

5. Medical Examination:

Selected candidates may be advised to bring medical certificate at the time of document verification in the prescribed Performa as per Apprenticeship act 1961 and Para 4 of the apprenticeship Rule 1992(As amended from time to time). The Medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (GAZ), not below the rank Asstt. Surgeon of Central/State Hospital.

6. Contract:

The selected candidates or, if he is minor, his guardian has be enter into a contract of apprenticeship with the employer.

7. Offer of acceptance of engagement:

It is not obligatory on the part of employer to offer any employment to any apprentice after completion of training, nor shall it be obligatory for the apprentices to accept any employment, if offered by the employer. The candidates are advised to get themselves familiarized with the rules and regulations under the Apprentices Act, 1961.

8. Ex-Servicemen

- Ex-Servicemen candidates selected under the reservation of 10% provided for them are to be placed in the appropriate category viz. UR/ SC/ ST/ OBC to which they belong. Reservation to Ex-Servicemen, their children and children of Armed Force personnel will be for Apprenticeship as per details mentioned below: -

File No SECR-R0PERS(RnO)/11/2024-O/o SR.DPO/R/SECR

A. Children of deceased/ disabled Ex-Servicemen including those killed/disabled during peace time. B. Children of Ex-servicemen. C. Children of Serving Jawans. D. Children of Serving Officer E. Ex-Servicemen.

9. Last date for receipt of application: The online application completed in all respect, can be submitted through **online from 03.03.2025 up to 02.04.2025 (23.59 Hrs)**. No physical copy of the application is required to be sent to Raipur division or Wagon Repair shop/ Raipur.

10. General instruction to the candidates:

- a. Applications must be submitted online only on the web address **<https://apprenticeshipindia.org>**
- b. If a candidate belongs to SC/ST/OBC community, he should upload recent caste certificate issued by competent authority on the above web portal and also verified your Aadhar.
- c. **CANVASSING IN ANY FORM SHALL DISQUALIFY THE CANDIDATES.**
- d. No Travelling Allowance/ Daily allowance shall be paid to the candidates.
- e. The candidates will have to upload soft/scanned copy of present passport size color photograph and scanned signature along with necessary documents pertaining to education/ technical qualification on the website.
- f. Candidature of the candidate shall be cancelled if he/she fails to produce the required original testimonials for verification or any discrepancy noticed.
- g. If it is noticed by the Railway Administration that the applicant has furnished wrong/fake certificates/false certificates, the Railway administration reserves the right to discharge the candidate/selected candidate at any stage without notice even after his selection to undergo training.
- h. The Railway Administration does not undertake any responsibility for sending reply to the candidates either selected or otherwise. No correspondence in respect of the applications submitted shall be entertained or replied by this office to any individual or organization.
- i. The Railway Administration will not be responsible for any printing error.
- j. The unfilled seats under EWS category may be filled in terms of SECR/HQ clarification No. P-HQ/RUL/101/10 (E-50910) dt.13.02.2024.
- k. Persons with disability (PWBD) who want to avail the benefit for reservation must produce a disability certificate issued by a competent authority with not less than 40% of disability i.e. Medical Board duly constituted by the Central or State government.
- l. The decision of the Railway administration in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications and mode of selection shall be final.

11. Helpline Contact: -

01	Mobile No-	7024149242	In case of any query please contact this office during Office hours (Monday to Friday/in working day 10:00 AM to 17:30 PM).
02	Office Address	Sr. Divisional Personnel Office, DRM Office Complex, Near Waltiar Gate, Raipur (C.G.) Pin No- 492008	

Digitally Signed by Nikita

Agrawal

Date: 03-03-2025 15:11:52
(Nikita Agrawal)

Reason Approved

For, Sr.Divisional Personnel Officer

Date: 03.03.2025

No: E/ PB/ R/ Rectt/Act Appr./01/2025-26

Copy for information and necessary action to:

1. PCPO/ SECR/ BSP for information.
2. PS to DRM for kind information of DRM/ Raipur please.
3. Sr.DCM/ SECR/ R for publication.
4. CMIT Office/Bilaspur for upload in the SECR Web site.
5. Notice Boards & IT Cell/Personnel/R.

For, Sr.Divisional Personnel Officer